

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 200]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 10 मार्च 2021 — फाल्गुन 19, शक 1942

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 5 मार्च 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-28/2019/32.— भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का सं. 16) की धारा 43 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए रायपुर में भू-संपदा अपील अधिकरण की स्थापना करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी.तिर्की, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 5 मार्च 2021

क्रमांक एफ 1-28/2019/32.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5-03-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी.तिर्की, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 5th March 2021

NOTIFICATION

NO. F 1-28/2019/32.— In exercise of the power conferred by sub-section (1) and (2) of Section 43 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (No. 16 of 2016), the State Government, hereby, establishes the Chhattisgarh Real Estate Appellate Tribunal, for the state of Chhattisgarh at Raipur.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
C. TIRKEY, Deputy Secretary.